न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 100 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/112)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 30.09.2021

1. श्री शंकर पिता गिरधारी गुर्जर, निवासी जवानपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री भोनीराम पिता गिरधारी गुर्जर, निवासी जवानपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मुली पत्नि भेरूलाल नायक, निवासी भीमगढ़, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भुरालाल डांगी – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, राशमी के
प्ररकण संख्या 03 / 2018 निर्णय दिनांक 26.03.2019

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, राशमी के प्रकरण संख्या 03 / 2018 निर्णय दिनांक 26.03.2019 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त,

उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2018 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीमगढ़ के आराजी नम्बर 2079, 2082, 2085 कुल किता 3, रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि गिरधारी पिता गंगाराम गुर्जर के नाम दर्ज थी। गिरधारी की मृत्यु दिनांक 02.12.2017 को हई, मृत्यु के पश्चात एक अजनबी महिला रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम पंचायत, भीमगढ़ के समक्ष तथाकथित गिरधारी का वसीयतनामा दिनांक 21.04.1997 का प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 20.12.2017 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त वसीयत के बारे में जांच हेतु एवं प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर के लिए उक्त नामांतरकरण की जांच तहसीलदार से कराया जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, परंतु उक्त रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिनांक 20.12.2017 को ही ग्राम पंचायत, भीमगढ़ द्वारा वसीयत को मानकर गिरधारी की वर्णित कृषि आराजी का नामांतरकरण अजनबी महिला रेस्पोडेंट के हक में खोले जाने का आदेश अपीलांट को कोई सूचना दिये बिना उनके पीठ पिछे प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट्स ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी में प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत भीमगढ़ द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 3182 दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 26.03.2019 से नामांतरकरण संख्या 3182 दिनांक 20.12.2017 निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाने से से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.03.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः— *"अपीलाधीन आदेश नामांतरकरण संख्या 3182 मौजा भीमगढ़ निर्णय दिनांक 20.12.2017 द्वारा ग्राम पंचायत भीमगढ़ राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान की पालना नही कर निर्णित करने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार, राशमी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे वसीयत विलेखों का सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट/प्रशासन पत्र जारी करवाकर तहसीलदार, राशमी के समक्ष पेश करें। तहसीलदार, राशमी को निर्देशित किया जाता है कि विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में पूर्ण जांच उपरांत निर्णय पारित करें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री भुरालाल डांगी उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपील में वर्णित आराजी मृतक खातेदार गिरधारी पिता गंगाराम जो अपीलांट्स के पिता थे उनके नाम खातेदारी में अंकित थी। अपीलांट्स के पिता मृत्यु तक अपीलांट्स के साथ ही निवास करते रह है और उनकी सेवा चाकरी एवं उनके सामाजिक रितिरिवाज एवं परम्परा अनुसार सभी कार्य अपीलांट्स द्वारा किये गये है। गिरधारी की संतान में पुत्री नही हुई है। अपीलांट्स की माता का निधन वर्षो पूर्व हो चुका है। अपीलांट्स के पिता गिरधारी द्वारा कोई वसीयत रेस्पोडेंट के नाम नही की गई है। अपीलांट्स के पिता के विधिक उत्तराधिकारी

अपीलांट्स ही है, फिर भी अपीलांट्स के पिता गिरधारी के मन में उनके पुत्रों को अपनी संपत्ति सुरक्षित एवं बिना किसी विवाद के दिये जाने का मानस हो जाने से उनके द्वारा दिनांक 29.05.2015 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर गवाहों के समक्ष एक वसीयत उनके एकमात्र उत्तराधिकारी होने की वजह से और वसीयतनामा 29.05.2015 के आधार पर भी अपील वर्णित आराजी के कानूनी मालिक होकर नामांतरकरण अपने नाम कराये जाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को नजरअंदाज किये निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 29.05.2015 के वसीयतनामा के आधार पर भी वाद वर्णित आराजी अपीलांट्स के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था, क्योंकि यह वसीयतनामा मृतक गिरधारी को मृत्यु के पूर्व की अंतिम वसीयत थी जो कानूनन पूर्ण प्रभावी होकर होकर विधिसम्मत थी जिसके आधार पर नामांतरकरण अपीलांट्स के नाम खुलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक था। राजस्थान के निवासी के लिए राजस्थान में स्थित संपत्ति के लिए कानूनन प्रोबेट/प्रशासन पत्र जिला न्यायालय से प्राप्त करना आवश्यक नहीं होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय प्रोबेट पत्र जारी करा कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित अपीलाधीन नामांतरकरण को विधि संगत बताते हुए एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2019 नियमानुसार निर्णय पारित किया है, जो उचित है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाने बाबत निवेदन किय गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में मृतक गिरधारी की मृत्यु के बाद जो नामान्तकरण संख्या 3182 वसीयत के आधार

पर रेस्पोंडेण्ट के नाम स्वीकृत किया गया, वह वसीयत पंजीकृत थी तथा गिरदावर द्वारा दिनांक 20.02.2017 को यह स्पष्ट रिपोर्ट की गयी कि वसीयत रजिस्टर्ड है, वसीयतकर्ता व वसीयतगृहिता की जाति पृथक है। भूमि स्व–अर्जित है या नहीं, किसी न्यायालय में कोई वाद चल रहा है या नहीं, किसी को कोई आपत्ति है या नहीं, इनकी जांच हेतु तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 3182 का निर्णय किया जाना गिरदावर की उक्त टिप्पणी होने के बावजूद भी पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 3182 को दिनांक 20.12.2017 को स्वीकृत कर लिया गया है जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय में मृतक गिरधारी के पुत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी तथा उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण को जांच व निर्णय हेतु तहसीलदार, राशमी को प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण में अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील पर ही अपीलाण्ट द्वारा पुनः अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है तथा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा कोई वसीयत ही नहीं की गयी। उनके विधिक वारीसान अपीलाण्ट ही है, फिर भी अपीलाण्ट के पिता गिरधारी के मन में उनके पुत्रों को अपनी सम्पत्ति सुरक्षित एवं बिना किसी विवाद के दिये जाने का मानसे हो जाने से उनके द्वारा दिनांक 29.05.2015 को 100/–रू. के स्टाम्प पर एक वसीयत गवाहों के समक्ष निष्पादित की गयी जिससे अपीलाण्ट उक्त भूमि के उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को भी नजरअंदाज किया है। जो अपंजीकृत वसीयत दिनांक 29.05.2015 वसीयतनामा पुत्रों के नाम की गयी वह अंतिम वसीयत थी। राजस्थान के निवासी के लिए राजस्थान में स्थित सम्पत्ति के लिए कानूनन प्रोबेट/प्रशासन पत्र जिला न्यायालय से प्राप्त करना आवश्यक नहीं होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोबेट पत्र जारी कराकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें यह सुस्पष्ट है कि मूली के नाम मृतक गिरधारी द्वारा जो पंजीकृत वसीयत निष्पादित की गयी वह दिनांक 21.04.1997 को निष्पादित की गयी। पंजीकृत वसीयत के विरूद्ध मतृक गिरधारी के पुत्रों द्वारा एक अपंजीकृत वसीयत दिनांक 29.05.2015 प्रस्तुत की है। यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार विरूद्ध निर्णय किया गया है, यानि कि जब गिरदावर द्वारा सुस्पष्ट रिपोर्ट की गयी कि प्रकरण वसीयती उत्तराधिकार का होने के कारण जांच का विषय है तथा तहसीलदार द्वारा ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये तथा वसीयती प्रकरणें में न्याय तक पहुंचने के लिए समस्त प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना वांछनीय होता है, परन्तु पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत का निर्णय निसंदेह त्रुटिपूर्ण है लेकिन इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा जो वसीयत प्रस्तुत की गयी है वह रेस्पोंडेण्ट के पश्चात्वर्ती वसीयत है परन्तु वह अपंजीकृत है तथा अपंजीकृत वसीयत को प्रमाणित भी किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा औचित्यपूर्ण रूप से उक्त दोनों वसीयतों के मद्देनजर पंचायत का नामान्तकरण निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का जो निर्णय पारित किया है, उसे हम प्रथम दृष्टया औचित्यपूर्ण पाते हैं। उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में **''वसीयत विलेखों का सक्षम सिविल न्यायालय से प्रोबेट/प्रशासन पत्र जारी करवाकर तहसीलदार, राशमी के समक्ष पेश करें।''** का जो आदेश दिया है, वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विधिक रूप से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्थान के निवासी के लिए राजस्थान में स्थित सम्पत्ति के लिए कानूनन प्रोबेट/प्रशासन पत्र जिला न्यायालय से प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2019 आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर

प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को उनके द्वारा पेश की गयी वसीयतों के आधार पर बाद जांच विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। प्रकरण में प्रोबेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आंशिक रूप से अपास्त कर प्रतिप्रेषण आदेश को बहाल रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राशमी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर